

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश:-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री / श्रीमती / सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम / द्वितीय / तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे / पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री कमलसिंह प्रधानाचार्य राउमावि, पनाणियोंकातला-चौहटन (बाड़मे)	02.10.64	29.11.95 व्याख्याता	28.11.15 20 वर्ष	29.11.18 द्वितीय	पे मैट्रिक लेवल एल-17
02	श्री रूपाराम जाखड़ प्रधानाचार्य, राआउमावि, बैरठ (जालोर)	30.09.62	29.12.87 व0अ0	28.12.17 30वर्ष	29.12.17 तृतीय	पे मैट्रिक लेवल एल-17
03	श्री धन्नाराम प्रधानाचार्य, राआउमावि, बूसी (पाली)	06.07.63	01.07.88 व0अ0	30.06.18 30 वर्ष	01.07.18 तृतीय	पे मैट्रिक लेवल एल-17

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। क्रम संख्या-01 को 17.06.2007 को चौथी संतान (दिनांक 01.06.2002 के पश्चात) होने के कारण एसीपी तीन वर्ष पश्चात दी गई है।



(नथमल डिडेल)


आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

कृ0प0उ0-2

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018-19/49 दिनांक: 05-03-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-मुख्यालय)
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0 स0
- 3- संबंधित संस्था प्रधान / संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।